


प्रकल्प 2 (नियम 11 (4) दोषिण)



माला का अधिकारी
तथा संचालक
तथा नियन्त्रण की

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दृश्यांक:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:- 08/05/2017

क्रमांक/39254109/स्कूल आई.डी. - 45712

भारत,

प्रतीक्षाक,

(VISION INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL PATAN)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदया/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राचारवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -VISION INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL PATAN, BINEKI, PATAN ROAD NEAR NTPC TEH-PATAN DIST JABALPUR की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत विस्तारित शर्तों की पूर्ति के अधीनी होगी-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा काला 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाह्यता किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाधंग 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाधंग 2) के उपर्योगी का पालन करेगा।
- स्कूल, आपने पहोंच की सीमा के विचित सम्मुख तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को काला 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि से, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवापित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वाविक आवर्ती व्यय को परा करने के बावजूद आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पर्याप्त प्रतिशत के अधीन होगा वशीर्ण के जहां स्कूल पवर स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपर्योग (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपर्योग प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पैसा 3 में विनियोग बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय को प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से वैक्षण्य संयोग उपलब्ध कराना होगा।
- सीसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संयोग नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आवृत्ति के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के प्रव्याप्त ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या सम्लवण, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी काला में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को वारीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोझ परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपर्योग के अनुसार निःशक्ति/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वशीर्ण कि वर्तमान में कार्यत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहिता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहिता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियोग कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवर्षीय शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल सम्मुचित प्राधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्ययार्थी का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

* स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिविह स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपस्थिति सुविधाएं विस्तारानुसार पाई गयी।

सुविधाएं

पोटेल में दर्जे

वास्तविक स्थिति

	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
8	स्कूल का कुल टीक्रफल (वर्ग फीट में)	87120	87120
9	स्कूल का निवित टीक्रफल (वर्ग फीट में)	10800	10800
10	खेल मैदान का टीक्रफल (वर्ग फीट में)	15000	15000

अध्योसंरचना का विवरण

	Rooms as per RTE		पोटेल में दर्जे		वास्तविक स्थिति	
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्ष अठवी तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		22	500	22	500
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		4	500	4	500
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	200	1	200

अन्य सुविधाएं

		पोटेल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
1	कक्ष सभी सुविधाओं तक पहुंच वापा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्तालित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्तालित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	7468	7468
5	परिक्लारेसेन्चर पर	7	7
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Pipe Water	Pipe Water
7	पेयजल सुविधा की संख्या	4	4
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पर्सियानहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	18	18
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	18	18
11	विकलांग वर्ज्यों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	8	8
12	कक्ष अन्न सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीकृत किए जाएंगे तथा घार्ड एकाउन्ट व्यारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजो जाएगा।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..39254109.. एवं डाइसेसकोड (DISE) 23390512804 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर सहेजत किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जनकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जिसा कि स्कूल के संचालन की कानीकरण को दूर करने के लिए अधिकारी नाम्बता की जिरन्दर पूर्ण सुविधित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटीन्यास, यदि कोई ही, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्न शर्त संलग्न उपांग "तीन" के अनुसार हीगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त और मान्यता की धर्ती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

मार्च 2019
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला JABALPUR
मध्यप्रदेश
District Education Officer
Jabalpur Distt.